रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97

REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 1997/आषाढ़ 3, 1919
No. 33] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 1997/ASADHA 3, 1919

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 1997

पी. आर.-14012/15/96-पीजी/टीएएमपी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 50 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 48 और 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तूतीकोरिन पत्तन के न्यासी बोर्ड द्वारा तमिलनाडु सरकार के दिनांक 13-9-1995 के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. IV/3(ए)/37/95 का आंशिक संशोधन करके महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित करता है :—

संशोधन

निम्नलिखित को "विविध सेवा मद प्रभार" के नीचे प्रमाण ई (4) के रूप में जोड़ा जाएगा।

प्रमाण ई (4)—**पत्तन क्षेत्र में तूतीकोरिन ताप बिजली घर के स्वामित्वाधीन सम्प्रेषक प्रणाली के लिए वे लीव प्रभार**

दर : सम्प्रेषक द्वारा ढोए गए प्रति मीट्रिक टन कोयले के लिए 0.55 रु.

एस. सत्यम, अध्यक्ष

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 1997

PR-14012/15/96-PG/TAMP.—In exercise of the powers conferred under Sections 48 and 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with section 50 of the said Act and in partial modification of the Notification No. VI/3(a)/37/95 published in the Tamil Nadu Government Gazette dated 13-9-1995 by the Board of Trustees of Port of Tuticorin, the Tariff Authority for Major Ports hereby notify the following amendment :

AMENDMENT

The following shall be added under the "Charges for Miscellaneous items of Services" as Scale E(4)

Scale E(4)—**Way Leave Charges for the Conveyor System Owned by Tuticorin Thermal Power Station in the Port area :**

Rate : Rs. 0.55 per Metric Tonne of coal moved through the conveyor.

S. SATHYAM, Chairman